

न्यायालय,समाहर्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।


आदेश-पत्रक


(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक-ता0.....से.....

जिला-खगड़िया.....सा0.....,सन्.....

केस का प्रकार:-बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:-2018/2018 राज्य बनाम थाना खगड़िया कांड संख्या:-637/2017

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3.
28.09.2018	<p>बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा 30(ए) के तहत थाना खगड़िया में दर्ज कांड संख्या:-637/2017 दिनांक 18.09.2017 में जप्त देशी मशालेदार शराब के विनष्टीकरण हेतु पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4591/हि0शा0, दिनांक 27.09.2018 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, खगड़िया का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि 200 एम0एल0 का 60 पाउच देशी मशालेदार शराब में से 200 एम0एल0 का 05 पाउच देशी मशालेदार शराब माननीय न्यायालय के निदेशानुसार उत्पाद रसायन परीक्षक बिहार पटना को भेजा गया है, तथा 200 एम0एल0 का 55 पाउच मशालेदार शराब कुल-11.00 लीटर देशी मशालेदार शराब थाना खगड़िया के मालखाना में सुरक्षार्थ रखा गया है।</p> <p>पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरुपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है।</p> <p>अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-2016 की धारा-57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए थाना, खगड़िया के मालखाना में रखी गई कुल:-11.00 लीटर देशी शराब विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख-रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए थाना, खगड़िया में दर्ज कांड संख्या:-637/2017 कांडों के आधार पर जप्त की गई कुल-11.00 लीटर देशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे।</p> <p>इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया / उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p style="text-align: center;"> समाहर्ता, खगड़िया।</p>	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.	<u>आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर</u> 02.	आदेश पर गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी तारीख-सं० 03.
	<p>डी०बी० नं० <u>621</u> / विधि, दिनांक <u>28.9.18</u> प्रतिलिपि:—पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि:—<u>जिला</u> सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।</p> <p style="text-align: right;"> प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।</p>	